संकल्प सं०:–5 / न0वि0 / विविध / (EESL)–38 / 2016–4378 राँची, दि०– 09/08/16

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में **Annuity Model** के आधार पर **LED** पथ प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/S**Energy Efficiency Services Ltd.** के माध्यम से अधिष्ठापित करने एवं उक्त क्रम में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की स्थापना हेतु **M/S Energy Efficiency Services Ltd.** से मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ–प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाईटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम (Street Light National Programme) आरंभ किया गया है ताकि न केवल बिजली की खपत में बचत लायी जा सके बल्कि विद्युत उत्पादन के क्रम में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को भी कम करते हुए लोकनिधि की बचत की जा सके।

इसी क्रम में झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में पथ–प्रकाश हेतु M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) के सहयोग से पारम्परिक स्ट्रीट लाईटिंग के स्थान पर LED Street Light के अधिष्ठापन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) का गठन ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन चार केन्द्रीय लोक उपक्रमों, यथा National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC), Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL), Power Finance Corporation Ltd. (PFCL) एवं Rural Electrification Corporation (REC) के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया है।

3. M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) द्वारा नगर निकायों, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक भवनों एवं प्रकाश व्यवस्था की दिशा में ऊर्जा बचत हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सहयोग किया जाता है। M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा राजस्थान, आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों में LED अधिष्ठापन का कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है। उक्त राज्यों में M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा स्थानीय नगर निकायों के साथ एकरारनामा

हस्ताक्षरित कर LED अधिष्ठापन का सफल कार्यान्वयन किया गया है, जिससे ऊर्जा की बचत हो रही है।

4. सम्प्रति झारखण्ड राज्य में LED लाईटिंग का विस्तार अपेक्षित रूप में नहीं किया जा सका है, जिससे राज्य में ऊर्जा की अपेक्षित बचत नहीं हो पा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि M/s Energy Efficiency Services Ltd. के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में चरणवार LED पथ प्रकाश व्यवस्था का अधिष्ठापन किया जाय, जिस क्रम में प्रथमतः राज्य के देवघर नगर निगम, दुमका नगर परिषद् एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत तथा कालक्रम में राज्य के अन्य प्रमुख नगर निकायों, यथा–राँची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मेदिनीनगर नगर परिषद एवं जमशेदपुर (UA) में यह कार्य कराया जायगा। इसके उपरांत राज्य के समस्त अवशेष शहरी स्थानीय निकायों में भी इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

5. उक्त क्रम में M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसके प्रमुख अवयव निम्नवत् हैं :–

5.1 **कार्यान्वयन मॉडल :**

इसके अधीन प्रारम्भिक निवेश M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा किया जायेगा। M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा उपलब्ध कराये गये आकलन के अनुसार उक्त निवेश की राशि का भुगतान नगर निकायों द्वारा 07 वर्षों में पथप्रकाश हेतु ऊर्जा एवं मरम्मति मद में किये जा रहे व्यय की राशि से किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप उर्जा एवं मरम्मति मद में किए जा रहे वास्तविक व्यय में कमी आएगी, जिससे संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में लोकनिधि की बचत होगी।

4378
09/08/16

वार्षिक ऊर्जा खपत एवं लागत बचत के संबंध में M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा उपलब्ध कराया गया आकलन निम्नवत् है:–

(i)	Existing energy consumption based on 100% burning of lights	-	37.98 MU
(ii)	Existing Connected Load	-	9.46 MW
(iii)	Existing energy cost (@ Rs. 1500 per kW connected Load)	-	Rs. 17.02 crores
(iv)	Existing maintenance cost	-	Rs.-2.72 crores
(v)	Energy consumption after replacement	-	16.83 MU
(vi)	Connected load after replacement	-	4.19 MW
(vii)	Energy cost after replacement	-	Rs. 7.54 crores
(viii)	Maintenance cost after replacement	-	Nil
(ix)	Savings to ULBs ((iii)+(iv)-(vii)+(viii)	-	Rs. 12.2 crores
(x)	EESL Annuity (Annual for 7 years)	-	Rs. 11.83 crores
(xi)	Net saving to ULBs	-	Rs. 37 Lakh
(xii)	Investment by EESL	-	Rs. 43.16 crores

5.2 **सर्विस लेवल एग्रीमेंट :**

इसके अधीन M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं नगर निकायों के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जायगा, जिसके अंतर्गत M/s Energy Efficiency Services Ltd. यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति एवं अधिष्ठापित किए गये LED

उत्तम तकनीकी स्तर के हैं। M/s Energy Efficiency Services Ltd. 07 वर्ष की अवधि के लिए Manufacturing Defect के विरूद्ध वारंटी उपलब्ध करायेगी। M/s Energy Efficiency Services Ltd., LED लाईट को चालू/बंद करने हेतु रिमोट स्विच सुविधा उपलब्ध करायेगी। पुराने LED लाईट को बदलने और LED खराब होने की स्थिति में सशुल्क retrofit व्यवस्था एवं बीमा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5.3 **भुगतान सुरक्षा व्यवस्था :**

राज्य सरकार द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को उसके द्वारा किये गये निवेश की सुरक्षा हेतु ESCROW Account / Bank Guarantee/State Govt. Assurance अथवा State Govt. Guarantee उपलब्ध करायी जायेगी।

5.4 **M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा खरीद :**

15.00 लाख रूपये से अधिक की खरीद पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा E-tendering प्रक्रिया अपनायी जायेगी एवं निकाय के प्रतिनिधि को M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा निविदा समिति में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

6. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के साथ समन्वय कर मुख्यतः निम्नांकित दो प्रकार के कार्य किये जायेंगे :–

6.1 **कार्यान्वयन एजेंसी का चयन** :– इसके अधीन Procurement services एवं Bid Process Management के कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।

4378 09/08/16

6.2 **परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन** :– इसके अधीन Project Planning and Execution, Quality Inspection Plan तथा Performance Monitoring का कार्य किया जायेगा।

7. राज्य सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा योजना का कार्यान्वयन 45 दिनों के अन्दर संबंधित नगर निकाय में आरंभ किया जाएगा।

8. योजना कार्यान्वयन के दौरान M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा उपलब्ध कराये जानेवाली सुविधायें निम्नवत होंगी :–

8.1 M/s Energy Efficiency Services Ltd. नगर निकाय क्षेत्र में अधिष्ठापित LED को छोड़कर सभी पारम्परिक स्ट्रीट लाईट को बदलने का कार्य करेगी।

8.2 पूर्व में स्थापित बिजली पोल को मानक मापदंड के अनुसार बदलने, नये बिजली पोल की स्थापना तथा नये/पुराने/क्षतिग्रस्त केबल को M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा झारखण्ड अनुसूची दर (Jharkhand SOR) को दृष्टिगत रखते हुए मनोनयन के आधार पर कार्यान्वित कराया जाएगा, जिसपर होनेवाले अतिरिक्त व्यय का भुगतान संबंधित स्थानीय निकाय के द्वारा अलग से किया जाएगा।

8.3 M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा Central Control and Monitoring System (CCMS) अधिष्ठापित किया जायेगा, जिसके माध्यम से Remote On/Off

व्यवस्था, ऊर्जा की खपत मापने की व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था में दोष पाने पर उसे ठीक करने की व्यवस्था अधिष्ठापित की जायेगी।

9. **LED प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन से निम्नांकित लाभ प्राप्त होंगे :–**

(i) पुरानी एवं पारम्परिक प्रकाश व्यवस्था के मुकाबले 45 से 55 प्रतिशत कम बिजली की खपत होगी।

(ii) Central Control and Monitoring System (CCMS) अधिष्ठापन से एकीकृत नियंत्रण द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी।

(iii) सार्वजनिक स्थानों पर उत्तम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

(iv) प्रकाश व्यवस्था की देख–रेख (Operation & Maintenance) में कम लागत आयेगी।

10. **उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :**

10.1 झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए, नियम–245 के तहत कार्य हित में राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें प्रथमतः देवघर नगर निगम, दुमका नगर परिषद् तथा बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र में M/s Energy Efficiency Services Ltd. के माध्यम से LED अधिष्ठापन का कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

4378
09/08/16

10.2 झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए, नियम–245 के तहत कार्य हित में राज्य के संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की स्थापना/मरम्मति कराये जाने के कार्य हेतु M/s Energy Efficiency Services Ltd. से मनोनयन के आधार पर कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

10.3 M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग तथा संबंधित स्थानीय शहरी निकाय के बीच अलग–अलग समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

10.4 किसी स्थानीय शहरी निकाय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रसंगाधीन प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।

11. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम चरण में देवघर नगर निगम, दुमका नगर परिषद एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शेष शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से अनुमानित वित्तीय भार का आकलन करते हुए वित्त विभाग को अवगत कराया जाएगा, जिसके उपरांत इन शहरी स्थानीय निकायों में इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समुचित स्तर से आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

12. मंत्रिपरिषद झारखण्ड की बैठक दिनांक–02.08.2016 में मद संख्या–8 के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारंण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9.8.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध/(EESL)–38/2016–4378 राँची, दिनांक– 09/08/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.8.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/विविध/(EESL)–38/2016–4378, दिनांक– 09/08/16

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री; नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, योजना– सह–वित्त विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/पर्यटन विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासनिक), जुडको लि०, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका/उपायुक्त, देवघर एवं दुमका/मेयर एवं नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद एवं बासुकीनाथ नगर पंचायत/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.8.16

सरकार के प्रधान सचिव।

Ajit/sec cell/EESL sankalp